न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 120/2020 जिला सीकर ।

1. श्रीमती सुवा देवी पत्नि बोदूराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. श्रीमति आंची देवी पत्नि बोदूराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्टान्

बनाम

1. मालाराम पुत्र गुमानाराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। मृतक जर्ये
   1/1. ग्यारसी लाल पुत्र मालाराम
   1/2. जयराम पुत्र मालाराम
   1/3. रामफूल पुत्र मालाराम
   1/4. हंसराज पुत्र मालाराम
   1/5. विमला पुत्री मालाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र गुमाना
3. रामनारायण पुत्र गुमाना
4. खूबाराम पुत्र गुमाना
5. फूली देवी पत्नी मोतीलाल
6. श्रीराम पुत्र मातीलाल
7. भागीरथ पुत्र घीसा
8. शान्ति देवी पत्नी गीगाराम
   समस्त जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.05.2011 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 18/2003

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 श्री महेन्द्र कुमार बिजारणीया।
3. वकील रेस्पोडेंट संख्या 8 श्री सुमेरसिंह बडसरा।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 119/2020 जिला सीकर ।

1. श्रीमती सुवा देवी पत्नि बोदूराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. श्रीमति आंची देवी पत्नि बोदूराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्टान्

बनाम

1. मालाराम पुत्र गुमानाराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। मृतक जर्ये
   1/1. ग्यारसी लाल पुत्र मालाराम
   1/2. जयराम पुत्र मालाराम
   1/3. रामफूल पुत्र मालाराम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

1/4. हंसराज पुत्र मालाराम
1/5. विमला पुत्री मालाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र गुमाना
3. रामनारायण पुत्र गुमाना
4. खूबाराम पुत्र गुमाना
5. फूली देवी पत्नी मोतीलाल
6. श्रीराम पुत्र मातीलाल
7. भागीरथ पुत्र घीसा
8. शान्ति देवी पत्नी गीगाराम
समस्त जाति माली निवासी खादरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेसपोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 13.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 87

उपस्थित–

4. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।
5. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 श्री महेन्द्र कुमार बिजारणीया।
6. वकील रेस्पोडेंट संख्या 8 श्री सुमेरसिंह बडसरा।

निर्णय

दिनांक–07.09.2021

1. यह दोनो अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 09.05.2011 एवं तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.10.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत हुई है। उक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु समान होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार गुमाना की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 682 तन ग्राम निमोद दिनांक 06.05.2002 को ग्राम पंचायत खादरा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 के पक्ष में स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेसपोडेंट् संख्या 01 मालाराम ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर में प्रस्तुत की गई।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील मांला बनाम चुन्नीलाल को निर्णय दिनांक 09.5.2011 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 तन ग्राम निमोद को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि गुमाना की विरासत का इन्तकाल अपीलांट मालारम के नाम दर्ज कर फैसल करे।
4. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.10.2016 का नवीन नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार हुआ।
5. न्यायालय उपखण्ड अधिकार नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2011 एवं तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2016 से दर्ज नामान्तकरण संख्या 87 से व्यथित होकर अपीलांटान् के द्वारा यह दोनो अपीले प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर दोनो अपीले अपीलान्टान् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2011 एवं तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.10.2016 से दर्ज नामान्तकरण संख्या 87 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. दोनो अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स को तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांटान् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8 उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. अपील पत्रावली संख्या 119/2020 एवं 120/2020 में अपीलांटान् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पुराना आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 है0 वाके ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार मान्या पुत्र दूला, जगना पुत्र जोरा, नरसा गुमाना पुत्रान घीसा, कालू बोदू पि0 बीजा जाति माली निवासी खादरा थे। गुमाना पुत्र घीसा के फोत होने पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 28.11.2001 को भरा तथा दिनांक 06.05.2002 को उसके वारिसान चुन्नीलाल, रामनारायण, खूबाराम पुत्रान गुमाना, फूली देवी पत्नी मोतीराम, श्रीराम पुत्र मोतीराम के नाम स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 682 के विरूद्ध मालाराम पुत्र गुमाना पुत्र नानगराम ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दिनांक 21.8.2003 को अपील पेश की गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 तन ग्राम निमोद को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को रिमांड कर गुमाना की विरासत का इन्तकाल अपीलांट मालाराम के नाम दर्ज कर फैसल करने के निर्देश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा दिनांक 13.10.2016 को नवीन नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार हुआ। नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 01 मालाराम के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 के द्वारा दिनांक 17.7.2020 को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र रेस्पोडेंट संख्या 08 शांति देवी के नाम किये जाने से उसके नाम नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 25.7.2020 को स्वीकार किया गया। विवादित भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 का हिस्सा अपीलांटान ने दिनांक 06.07.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय की है व अपीलांटान के नाम नामान्तकरण संख्या 918 दिनांक 20.7.2007 स्वीकृत होकर कायम है। उक्त विक्रय पत्र के अलावा अपीलांटान ने अन्य सहकृषको की भूमि भी क्रय की व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलांटान विवादित भूमि के अपने सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज है तथा भूमि में बोरिंग एवं भूमि के चारो और फैंसिंग करा रखी है। रेस्पोडेंट संख्या 01 मालाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में संवत 2008 से 2027 में अर्थात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के पूर्व के इन्द्राज को दुरूस्त करने की बात कही है जो केवल मात्र नियमित दावे में ही तय की जा सकती है। विरासत के नामान्तकरण में तय नही की जा सकती है। साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 01 मालाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम व उसके साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में माला पुत्र गुमानाराम पुत्र नानगराम कहता है। इससे स्पष्ट है कि माला, गुमानाराम जो नानगराम का पुत्र है का पुत्र अपने आप को कहता है। चुन्नीलाल, रामनारायण, खुबाराम, फुली देवी पत्नी मोतीराम, श्रीराम पुत्र मोतीराम जो गुमानाराम के वारिस है, को कही भी रेस्पोडेंट संख्या 01 मालाराम इन्कार नही करता है ऐसी स्थिति में जो विरासत का नामान्तकरण स्वीकार किया गया वह सही था। मालाराम द्वारा बिना प्रार्थना पत्र धारा 80 लैण्ड रेवेन्य एक्ट के तहत दिनांक 7.4.2011 को ग्राम पंचायत के तथाकथित वारिस प्रमाण पत्र की छायां प्रति प्रस्तुत करता है जबकि ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नही है। जब राजस्व रिकार्ड में नरसा, गुमाना पुत्रान घीसा दर्ज है तो उसकी कोई दुरूस्ती धारा 135 लैण्ड रेवेन्य एक्ट में नही हो सकती है उस हेतु केवल मात्र नियमित दावा ही बाद साक्ष्य साबित हो सकता हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु का कोई निर्णय न कर निर्णय देने में भूल की है। विवादित भूमि पर अपीलांटान् काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड उनके नाम है। ऐसी स्थिति में उसे सुने बिना कोई आदेश प्रदान नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय आदेश 22 नियम 10 के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांटान के हक में पंजीकृत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विक्रय पत्र है जिसका राजस्व रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त न हो जाये रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अपीलांटान विवादित भूमि की खातेदार है उनके हक में स्वीकृत नामान्तकरण को निरस्त किये बिना व अपीलांटान् को सुने बिना नवीन नामान्तकरण स्वीकृत नही हो सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलांटान को पक्षकार नही बनाया गया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अधिवक्ता अपीलांटान् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी. सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.2011 एवं तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा स्वीकार नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 13.10.2016 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 6.5.2002 ग्राम पंचायत खादरा कायम रखा जावे।

8. अपील पत्रावली संख्या 119/2020 एवं 120/2020 में रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 के योग्य अधिवक्ताओ ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि राजस्व ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना के भूमि पुराना खसरा नम्बर 599 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 है0 संवत 2008 से 2027 की खातेदारी गुमाना पुत्र घीसा के नाम थी। पर्चा लगान में नरसा व गुमाना पुत्र घीसा के नाम अशुद्ध व गलत अंकित कर दिये गये। पर्चा के अनुसार भाना पिता दूला तथा जगना के बजाय जगूराम पिता जोरा होना चाहिये था। जोरा के लडके नरसा व बीसा है जिनको पर्चे में नरसा, गुमाना पिता घीसा दर्ज कर दिया गया। घीसा नाम का कोई व्यक्ति नही था। बल्कि बीसा के घीसा गलत दर्ज कर दिया गया जो कि जोरा का लडका था। घीसा के नरसा व गुमाना लडके नही हुये बल्कि नरसा, जगू जिसे जमना बताया गया है नरसा एवं बीसा अर्थात घीसा, जोरा के लडके थे तथा गुमाना नानगा का लडका था। गुमाना फोत हो गया जिसके एक मात्र वारिस ग्यारसीलाल, रामफूल, हंसराज, जयराम, बिमलादेवी का पिता माला था। पुराना खसरा नम्बर 599 मान्या पिता दुला हिस्सा 1/4, जगू नरसा बीसा पिता जोरा हिस्सा 1/4 गुमाना पुत्र नागना हिस्सा 1/4 वींजा पुत्र फता हिस्सा 1/4 था किन्तु उक्त पर्चा लगान में गुमाना को घीसा का पुत्र गलत अंकित कर दिया गया। गुमाना की मृत्यु के पश्चात चुन्नीलाल, रामनारायण खूबाराम ने अपने आप को गलत तौर पर गुमाना के वारिस बताकर कैम्प प्रशासन गांवो के संग में गुमाना की विरासत का नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 स्वीकार करवाकर गुमाना की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त चुन्नीलाल, रामनारायण, खुबाराम पुत्र गुमाना पुत्र बीसा पुत्र जोरा की संतान है। उक्त नामान्तकरण के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 मालाराम जो गुमाना का वैध वारिस था हो जानकारी होने पर उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी किन्तु मालाराम को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये इंतकाल मंजूर कर लिया गया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमे वाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.2011 से नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 6.5.2002 को निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में दिनांक 13.10.2016 को नवीन नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार हुआ। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुये चुन्नीलाल, रामनारायण, खुबाराम ने अपने आप को गुमाना के वारिसान बताकर व फूलीदेवी बेवा मोतीराम, श्रीराम पुत्र मोतीराम ने गलत तौर से अपीलांटान के हक में एक विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2007 को तहरीर एवं तस्दीक करवाकर नामान्तकरण संख्या 918 दिनांक 20.9. 2007 को अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2007 शुरू से ही प्रभावहीन एवं शून्य है। अपीलांटान ने जिन खातेदारान से भूमि क्रय की है वे खातेदारान गुमाना पुत्र बीसा पुत्र जोरा एवं नरसा पुत्र जोरा के वारिसान है जिनके द्वारा गलत तौर से गुमाना के वारिस दर्ज कर भूमि विक्रय की है। अपीलांटान के पक्ष में किया गया विक्रय लेख शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.5.2011 की पालना में मालाराम के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के हक में भरा गया नामान्तकरण संख्या 87 के आधार पर मालाराम के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

भूराम पुत्र भानाराम द्वारा अपनी हिस्से की खातेदारी भूमि रेस्पोडेंट नम्बर 8 को विधिवत विक्रय भूमि का बैनामा दिनांक 17.7.2020 को तस्दीक करवाये जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 8 श्रीमति शांति देवी के हक में नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 25.7.2020 को स्वीकार किया गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 तन ग्राम निमोद के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 पारित किया है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 13.10.2016 को नवीन नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज फरमायी जावे।

9. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार गुमानाराम की ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना में स्थित खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 599 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 है0 के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम नीमोद में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 के खातेदार गुमाना की मृत्यु के पश्चात गुमाना की विरासत का नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 06.05.2002 ग्राम पंचायत खादरा द्वारा स्वीकार किये जाने पर उसके वारिसान चुन्नीलाल, रामनारायण खूबाराम पिता गुमाना फूली देवी बेवा मोतीराम श्रीराम पुत्र मोतीराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई थी। ग्राम पंचायत खादरा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 मालाराम के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण 682 दिनांक 06.05.2002 को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.05.2011 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 6.5.2002 ग्राम पंचायत खादरा को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि गुमाना की विरासत का इन्तकाल अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) मालाराम के नाम दर्ज कर फैसल करे। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.2011 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा गुमाना की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) मालाराम की भी मृत्यु हो जाने पर मालाराम के वारिसान ग्यारसीलाल रामफूल जयराम हंसराज पिता मालाराम, विमला देवी पुत्री मालाराम के नाम दिनांक 13.10.2016 को नवीन नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 मालीराम के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/5 के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने पर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 है0 हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण का विक्रय रेस्पोडेंट संख्या 8 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2020 विक्रय कर दिया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 6.8.2020 ग्राम पंचायत खादरा को स्वीकृत हुआ।

10. हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2011 में नामान्तकरण संख्या 682 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। मात्र अपीलार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील को अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रविष्टि होती है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण के पश्चात भी अन्य परिवर्तन प्रविष्टियो में हो चुके है। मृतक खातेदार गुमाना की विरासत का नामान्तकरण सख्या 682 रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 चुन्नीलाल, रामनारायण खूबाराम पिता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

गुमाना फूली देवी बेवा मोतीराम श्रीराम पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज होने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556 रकबा 2.11 में से हिस्सा दिनांक 06.07.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांटान के पक्ष के तस्दीक किये जाने पर अपीलांटान के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 918 दिनांक 20.7.2007 ग्राम पंचायत खादरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। अपीलांटान विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसी अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा भी केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के आधार पर ही मृतक गुमाना का विरासत का नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकार किया गया जबकि तहसीलदार द्वारा मृतक के विधिक वारिसान एवं प्रभावित पक्षकारो को सुन कर निर्णय पारित करना चाहिये था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन दोनो आदेश एकतरफा तथा अपीलांटान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपीलांटान् की दोनों अपीले स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दोनो अपील संख्या 120/2020 व 119/2020 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2011 एवं नामान्तकरण संख्या 87 वाके ग्राम नीमोद दिनांक 13.10.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात में मृतक गुमाना की विरासत के संबंध में विस्तृत एवं समुचित साक्ष्य प्राप्त कर जांच करते हुये समस्त प्रभावित पक्षकारो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की एक–एक प्रति अपील संख्या 120/2020 एवं 119/2020 की पत्रावलियों के संलग्न की जाये।

12. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

7/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/9/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner